demand for colour TV sets will be much more than that estimated by the inter departmental working group in, June, 1980.

(d) No, Sir.

(e) The decision will be taken after the study group submitts its report.

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, पटना के लिये भवन

1520. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, पटना के पास न तो अपना कोई भवन है और न वहा कार्य कर रहे कर्मचारियों को आवास देने की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध मे कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) से (ग). क्षेत्रीय भविष्य निधि, पटना का कार्यालय इस समय किराए के भवन में स्थित है। तथापि, यह निर्णय किया गया है कि उक्त कार्यालय के लिए भवन का निर्माण किया जाये और इसके लिए जमीन प्राप्त कर ली गई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह प्राक्कलन तैयार करें और इस की प्रतीक्षा की जा रही है।

संसद सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

1521. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पैंशन हेतु आय की शर्तों को हटाए जाने पर स्वतंत्रता सेनानी संसद् सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों ने पेंशन के लिए अभ्यावेदन भेजे है ;

(ख) यदि हां, तो उन संसद् सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के राज्यवार नाम क्या है जिन्होने 31 जुलाई, 1981 तक पेंशन के लिए अभ्यावेदन भेज है ;

(ग) क्या सरकार ने उनमें से कुछ को पेशन मंजूर कर दो है ;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम राज्य-वार क्या है ; और

(ङ) ऐसे बाकी लोगों को पेशन मंजूर न करने के क्या कारण है और ऐसे मामलों में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की सभावना है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (ङ): एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्यवार ब्यौरा

संसद सदस्यों/राज्य विधान सभा के सदस्यों के मामले

वे मामले जिनमें राज्य सरकारों से पेंशन रिपोर्टों या सत्यापन प्राप्त हो गया है और 1.8.1980 से सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है :—

क्रम सं०	संसद सदस्य का नाम	राज्य जिस से वह संबंधित है
1.	प्रो० एन० जी रंगा	आन्ध्र प्रदेश
2.	श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा	बिहार
3.	श्री रामानन्द यादव	बिहार
4.	श्री योगेन्द्र शर्मा	बिहार
5.	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार
6.	श्री टी० आर० शर्मा	कर्नाटक
7.	श्री एन० के० भट्ट	मध्य प्रदेश
8.	श्री एस० के० वैशम्पायन	महाराष्ट्र
9.	श्री एस० एस० बर्गाइतकार	महाराष्ट्र
10.	श्री दिगम्बर सिंह	उत्तर प्रदेश
11.	श्री जयराम वर्मा	उत्तर प्रदेश
12.	श्री झारखण्डे राय	उत्तर प्रदेश
13.	श्री रामायण राय	उत्तर प्रदेश
14.	श्री भूपेश गुप्त	पश्चिमी बंगाल
	विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य	
1.	श्री के० एल० महेन्द्र (विधान परिषद् सदस्य)	आन्ध्र प्रदेश
2.	श्री पी० रंगा रेड्डी (विधान सभा के सदस्य)	आन्ध्र प्रदेश
3.	श्री एम० सी० पैरमल (विधान परिषद् के सदस्य)	कर्नाटक
4.	श्री बलदेव सिंह आर्य (विधान सभा के सदस्य)	उत्तर प्रदेश
5.	श्री ए० बी० बेदागे (विधान सभा के सदस्य)	कर्नाटक
6.	श्री यशपाल (विधान सभा के सदस्य)	पंजाब